संख्या-35/2023/997/दो-2-2023-28/2(27)/2023

प्रेषक,

मदन सिंह गर्ब्याल,
विषेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

नियुक्ति अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 03 अक्टूबर,2023**

विषय:- श्री राजेन्द्र सिंह सेंगर,पी.सी.एस.**(जी.पी.एफ.खा0सं0-आर0वी0यू0-39467)** के पेंशन, राशिकरण,उपादान भुगतान के संबंध में।

महोदय,

श्री राजेन्द्र सिंह सेंगर,पी0सी0एस0,अपर आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक **30.09.2023** को सेवानिवृत्त हो चुके हैं/हो रहे हैं, का पेंशन, राशिकरण,उपादान भुगतान का प्रस्ताव पेंशन पोर्टल के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है तथा श्री राजेन्द्र सिंह सेंगर के संबंध में अपेक्षित अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त हो गये हैं।

2- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया श्री राजेन्द्र सिंह सेंगर का पेंशन, राशिकरण, उपादान का प्राधिकार पत्र निर्गत करते हुए उसकी सूचना से शासन को एवं अभिदाता को यथासमय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मदन सिंह गर्ब्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि:-श्री राजेन्द्र सिंह सेंगर,पी.सी.एस.से.नि.**पता**-म0नं0-49, साईं सिटी,आई0आई0एम0 रोड, रायपुर लखनऊ-226020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। **(रजिस्टर्ड)**

आज्ञा से,

(विजय कुमार संखवार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-35/2023/997(।) /दो-2-2023-28/2(27)/2023
लखनऊ: दिनांक: 03 अक्टूबर,2023

कार्यालय-ज्ञाप

श्री राजेन्द्र सिंह सेंगर,पी0सी0एस0,अपर आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक-**30-09-2023** को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को वित्त सामान्य अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-393/दस-99-2000-88, दि0 01-07-99 में निहित प्रतिबन्धों के अधीन सेवानिवृत्ति की तिथि तक देय अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति, जो 300 दिन से अधिक न हो, प्रदान की जाती है।

(मदन सिंह गर्ब्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- विशेष सचिव,इरला चेक(वेतन पर्ची अनुभाग),उत्तर प्रदेश शासन ।
2- श्री राजेन्द्र सिंह सेंगर,पी.सी.एस.से.नि.**पता**-म0नं0-49, साईं सिटी,आई0आई0एम0 रोड, रायपुर लखनऊ-226020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। **(रजिस्टर्ड)**

आज्ञा से,

(विजय कुमार संखवार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-35/2023/982(।।।)/दो-2-2023-28/2(27)/2023
लखनऊ: दिनांक: 03 अक्टूबर,2023

विशेष सचिव,
इरला चेक (वेतन पची प्रकोष्ठ),
उ0प्र0 शासन।

श्री राजेन्द्र सिंह सेंगर,पी0सी0एस0,अपर आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक **30.09.2023** को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से प्राप्त जी0आई0एस0 प्रपत्रों की तीन प्रतियॉ मूलरूप में संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अग्रेतर कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से नियुक्ति अनुभाग-2 को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

(मदन सिंह गर्ब्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि:- श्री राजेन्द्र सिंह सेंगर,पी.सी.एस.से.नि.**पता**-म0नं0-49, साईं सिटी,आई0आई0एम0 रोड, रायपुर लखनऊ-226020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। **(रजिस्टर्ड)**

आज्ञा से,

(विजय कुमार संखवार)
संयुक्त सचिव।

\

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-35/2023/997(।।)/दो-2-2023-28/2(27)/2023
लखनऊ: दिनांक: 03 अक्टूबर, 2023

आदेश

श्री राजेन्द्र सिंह सेंगर,पी0सी0एस0,से0नि0 द्वारा अपने भविष्य निधि निर्वाह खाता संख्या-**आर0वी0यू0-39467** में कुल जमा धनराशि के सापेक्ष 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- श्री राजेन्द्र सिंह सेंगर,पी0सी0एस0,से0नि0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-16/मिलान डायरी-175/38583, दिनांक 16.08.2023 के अनुसार वर्ष-2022-23 तक कुल जमा धनराशि रू0 50,21,087/-(रू0 पचास लाख इक्कीस हजार सतासी मात्र) जिस पर माह 3/2023 तक ब्याज सम्मिलित है, की 90 प्रतिशत धनराशि रू0-45,18,978/-(रू0 पैतालीस लाख अट्ठारह हजार नौ सौ अट्ठत्तर मात्र) होती है, के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-ए0जी057/दस-84-510/84, दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे है।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री राजेन्द्र सिंह सेंगर, से0नि0,पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

(मदन सिंह गर्ब्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम(निधि-16) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। **(रजिस्टर्ड)**

2- **आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री राजेन्द्र सिंह सेंगर,**पी.सी.एस.** तत्कालीन अपर आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी सम्प्रति सेवानिवृत्त के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें तथा यह भी सुनिश्चि कर लिया जाय कि भुगतान की जाने वाली धनराशि 90 प्रतिशत से अधिक न हो। **(रजिस्टर्ड)**

3- **मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, वाराणसी (रजिस्टर्ड)**

4- श्री राजेन्द्र सिंह सेंगर,पी.सी.एस.से.नि.**पता**-म0नं0-49, साईं सिटी,आई0आई0एम0 रोड, रायपुर लखनऊ-226020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। **(रजिस्टर्ड)**

आज्ञा से,

(विजय कुमार संखवार)
संयुक्त सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in